

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक प.1 (80)वन/2021

जयपुर, दिनांक :- 27 JUL 2022

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय)  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
जयपुर बी-ब्लॉक, अरण्य भवन,  
झालाना, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.0667 ha. forest land in favour of M/S Telesonic Networks Limited for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FP/RJ/OFC/51041/2021)

संदर्भ:-आपका पत्रांक 8बी/राज/12/30/2021/FC दिनांक 18.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर के पत्रांक क्रमांक 16(OFC)2020/एफसीए/प्रमुवस/2059 दिनांक 17.06.2022 द्वारा प्रेषित विन्दुवार रिपोर्ट इस कार्यालय की सहमति सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि विषयाकित प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक स्वीकृति शीघ्र जारी करवाने का श्रम करावे।

भवदीय,

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

( वेंकटेश शर्मा )  
शासन सचिव

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,**  
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(OFC)2020/एफसीए/प्रमुवसं./ 2059

दिनांक 17/6/22

शासन सचिव,  
वन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय वन विभाग

शासन सचिव, जयपुर

क्रमांक: 5005

दिनांक: 21/6/22

विषय:- Diversion of 0.0667 ha. forest land in favour of M/S TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam-Bannia road within the existing ROW from KMS- 0/0 to KMS 11/00 Km) District-Banswara (Raj.)  
(प्रस्ताव सं. FP/RJ/OFC/51041/2020)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक 8B/RAJ/12/30/2021 Dated:- 18.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक 3748 दिनांक 06.05.2022 से प्राप्त सूचना/टिप्पणी (प्रति संलग्न है) इस कार्यालय की सहमति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1.	Detailed Compensatory Afforestation scheme for plantation of minimum 100 saplings shall be submitted along with maps and kml file.	क्षति पूर्ति वृक्षारोपण की स्कीम संलग्न है।
2.	Detail of the extent of violation shall be submitted.	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में विस्तृत विवरण की छायाप्रति संलग्न है।
3.	Detailed Penal NPV calculation shall be submitted.	प्रकरण में एनपीवी की गणना संलग्न है।

उक्त आक्षेपों का जवाब दो सेटों में भिजवाया जा रहा है। कृपया एक सेट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को अग्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,

(रश्मि माथुर)

मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांक: एफ. 14(OFC)2020/एफसीए/प्रमुवसं./

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

राजस्थान सरकार
   
 वन विभाग
   
 कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
   
 वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001
   
 email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( ) मुवसं/वसु/2022-23/ 3748
   
 निमित्त,

दिनांक :- 6/6/2022

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
   
 प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
   
 राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground
   
 Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing
   
 Row from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (raj)
   
 Proposal No.FP/RJ/OFC/51041/2020

संदर्भ:- भारत सरकार का ईडीएस का पत्रांक 18.01.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित ईडीएस के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा तीन बिन्दुओं
   
 पर लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति उप वन संरक्षक बॉसवाडा द्वारा उनके पत्रांक /प 0 14 F.C.A.
   
 /उवसं/2021/2968 दिनांक 19.05.2022 से की जाकर प्रत्युत्तर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। उप वन संरक्षक,
   
 बासवाडा से प्राप्त वांछित प्रत्युत्तर बिन्दुवार निम्नानुसार तैयार कर इस कार्यालय की सहमति के साथ मूल ही तीन
   
 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	Detailed Compensatory Afforestation scheme for plantation of minimum 100 saplings shall be submitted along with maps and kml file.	150 पौधे लगाने की स्कीम संलग्न है।
2	Detail of the extent of violation shall be submitted.	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में विस्तृत विवरण की छायाप्रति संलग्न है।
3	Detailed Penal NPV calculation shall be submitted.	प्रकरण में एनपीवी की गणना संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। (तीन प्रतियों में।)

भवदीय,

(आर.के.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

दिनांक :-

क्रमांक एफ 5 ( ) मुवसं/वसु/2022-23/  
प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, बॉसवाडा को उनके पत्रांक 2968 दिनांक 19.5.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।



कार्यालय वन वन संरक्षक, बॉसवाड़ा

68

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / तबसं / 2021 / 3468

दिनांक :- 13-05-22

निमित्त,  
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।



विषय :- Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the ( Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

सन्दर्भ :- EDS Dated 18-01-2021 एवं आपका पत्रांक 3239 दिनांक 06.05.2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 613-16 दिनांक 20.01.2021 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में प्रस्ताव के पार्ट-III की पूर्ति कर प्रस्ताव आपके पत्रांक 795 दिनांक 05.02.2021 द्वारा अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर को अग्रप्रेषित किया गया था।

प्रकरण में दिनांक 09.03.2021 द्वारा जारी EDS में रिपोर्ट श्रीमान् को इस कार्यालय के पत्रांक 6124-27 दिनांक 15.07.2021 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। उक्त प्रकरण में पुनः प्राप्त EDS Dated 18-01-2022 अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक 2257 दिनांक 29.04.2022 से वांछित आक्षेपों की पालना रिपोर्ट में पाई कमियों में आपके पत्रांक 3239 दिनांक 6.05.2022 के क्रम में कमियों की पूर्ति कर सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है -

**1-Detailed Compensatory Afforestation scheme for plantation of minimum 100 saplings shall be submitted along with maps and kml file.**

प्रत्युत्तर-150 पौधे लगाने का प्राक्कलन मॉडल अनुसार 13 वर्ष की स्कीम का मय नक्शे, जी.टी. शीट, डिजिटल मैप एवं कै.एम.एल फॉइल के संलग्न है। DFL site की Site suitability report प्रेषित है।

**2- Detail of the extent of violation shall be submitted.**

प्रत्युत्तर - प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में विस्तृत विवरण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 613-16 दिनांक 20.01.2021 द्वारा श्रीमान् को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति अवलोकनार्थ पुनः संलग्न प्रस्तुत है।

**3-Detail penal NPV calculation shall be submitted for the area violated.**

प्रत्युत्तर - प्रकरण में एनपीवी की गणना FCA Handbook (Guidelines & Clarifications) के पार्ट-बी विन्दु संख्या 1.21 के (ii) a (page 43 Enclosed) के अनुसार निम्नानुसार है-

क. सं.	उल्लंघन किया गया वन क्षेत्र है 0 में	Eco-value class	Type of Forests	NPV की दर प्रति है 0	देय राशि रु.	विशेष विवरण
1	0.0540 है 0	Class-III (Tropical Dry Deciduous Forests)	Open Forests	957780 /-	103441 /-	निरीक्षण अधिकारी द्वारा उल्लंघन की रिपोर्ट देने की तिथि से जमा कराने की तिथि तक 2 गुना NPV पर 12 प्रतिशत ब्याज दर प्रस्तावित है।



अतिरिक्त बिना उल्लंघन के शेष रहे क्षेत्रफल 0.0127 हैक्टर की NPV की देय राशि 12164/-

अतः NPV गणना की कुल राशि 1,15,605/-रुपया है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (चार प्रतियों में)।

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)  
उप वन संरक्षक,  
बांसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 /

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ।
3. M/s Telesonic Networks Ltd. 3<sup>rd</sup> Floor, Metro Tower, Squire Scheme no. 54, Indore (Madhya Pradesh)

उप वन संरक्षक,  
बांसवाड़ा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाडा

विस्तृत व्यय प्रावकतलन

कार्य पर होने वाले विस्तृत विवरण वर्ष :- 2022-23		नामवृत प. वृत, उदयपुर					
नाम वन मण्डल : बांसवाडा		नाम स्कीम : CAMPA					
स्वीकृत क्रमांक :	दिनांक						
कार्य कोड		GPS 23°15200 74°3975					
बजट मद जिसमें व्यय होगा : CAMPA		स्वीकृत शशि : /-					
क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण				
1	नाम राजस्व जिला - बांसवाडा	2	नाम रेन्ज - कुशलगढ				
3	नाम तहसील - कुशलगढ	4	नाम पंचायत समिति - कुशलगढ				
5	नाम कार्य - कदवाली पोटलीया (पाटन)	6	नाम वन खण्ड - कदवाली पोटलीया				
7	क्षेत्रफल - 0.50 है.	8	ग्राम - कदवाली पोटलीया				
9	किसम कार्य - क्षति पूर्ति प्लान्टेशन	10	निर्माण वर्ष - 2022-23				
11	V.F.P.M.C. - पाटन	12	पौधों की संख्या -150				
		13	पैरामीटर - पाटन 100 मी. कॉमन खाई वृक्षारोपण कदवाली पोटलीया बी 2021-22 RDF-I				
क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	0 year	3	4	5	6	7	8
1	सर्वे एवं ले आउट (लाईन विलथरेस सहीत) [F.D. BSR-B-1-(i)]	0.50	0.50	है.	158.76	प्र.है.	79.38
2	खड्डे खुदाई कार्य- [F.D. BSR-B-3.1-(i)]						
I	खड्डे खुदाई हेतु दागवेल देना	150	150	खड्डे	1.03	प्र.खड्डे	154.50
*	खड्डे खुदाई साईज 45×45×45×cm [F.D. BSR-B-5.1-(iv)-(v)-(Vi)]						
I	कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्टर्स में	0	0.00	खड्डे	167.08	प्र.खड्डे	0.00
II	कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्टर्स में	75	6.83	खड्डे	228.82	प्र.खड्डे	1563.84
III	कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	75	6.83	खड्डे	254.02	प्र.खड्डे	1736.07
3	विविध व्यय					LS	1500.00
Total							5033.79
or Say							5034.00
1st year							
1	खड्डों का कितनापक दवा से उपचार करना [F.D. BSR-3-12]	150	150	खड्डे	0.50	प्र.खड्डे	75.00

उक्त क्षेत्र में खाई फिटिंग एवं ले निष्पन्न है। शक्यता पर फलन में नहीं ली गई है।



	पौधा रोपित करना (पौधे को थैली सहित उपचारित जल से सिंगोना, पोलिथिन थैली को काटना एवं पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकाल कर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर मिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना) [F.D. BSR-3.2.3]							
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में सिर बोझ से पौध (पोलिथीन बैग्स में) की स्थानीय बुलाई [F.D. BSR-3.2.2.3.]	150	150	पौधे	1.30	प्र.पौधा	195.00	
	समतल क्षेत्र में बैग साईज 12x30 सेमी [F.D. BSR-3.13.1.1]	150	150	पौधे	6.17	प्र.पौधा	925.50	
3	प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्द्धचंद्राकार थावला बनाना जिसका अर्द्धव्यास कम से कम 50 से.मी हो [F.D. BSR-3.16.1]	150	150	पौधे	4.00	प्र.पौधा	600.00	
4	पौधा को रासायनिक खाद देना [F.D. BSR-3.14]	150	150	पौधे	0.65	प्र.पौधा	97.50	
5	पौधा पर किटनाशक दवा से छिड़काव करना [F.D. BSR-3.15]	150	150	पौधे	1.13	प्र.पौधा	169.50	
6	पौधों को पानी पिलाना (जबकि पानी वृक्षारोपण सील पर उपलब्ध हो, बाट्टी मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर [F.D. BSR-3.18.1 महिने में 2 बार 7 महिने तक 14 बार	2100	2100	पौधे	5.68	प्र.पौधा	11928.00	
7	पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटवाई (कम से कम 50 से.मी. अर्द्धव्यास तक एवं थावला दुरुस्त करने सहित) [F.D. BSR-3.19.1 4 बार	600	600	पौधे	4.79	प्र.पौधा	2874.00	
8	पौधों की कंवल गुड़ाई व मिट्टी पलटवाई [F.D. BSR-3.19.12 2 बार	300	300	पौधे	2.33	प्र.पौधा	699.00	
9	सरकारी नर्सरी से पौधे टॉल प्लान्ट उपलब्ध करवाना					LS	0.00	
10	किटनाशक दवा खरीद पर व्यय					LS	1000.00	
11	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	30	30	दिन	252.00	LS	7560.00	
	विविध व्यय					LS	1500.00	
Total								27623.50
or Say								27623.00
3	11st year							
	1. रिप्लेसमेंट हेतु खटखे खुदाई-10%							
1-	1. कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्डर्स में	10	0.91125	खड्डे	228.82	प्र.खड्डा	208.51	
	2. कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरह कंकड़ हो	5	0.45625	खड्डे	254.02	प्र.खड्डा	115.90	
2	सरकारी नर्सरी से टॉल प्लान्ट प्राप्त करना	0	0	खड्डे	0.50	प्र.खड्डा	0.00	
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में सिर बोझ से पौध (पोलिथीन बैग्स में) की स्थानीय बुलाई करना [F.D. BSR-3.2.2.3.]	15	15	पौधे	1.30	प्र.पौधा	19.50	
4	खड्डों का किटनाशक दवा से उपचार करना [F.D. BSR-3-12]	15	15	पौधे	0.50	प्र.पौधा	7.50	



5	पौधा रोपित करना (पौधे को थैली सहित उपचारित जल से भिगोना, पोलिथिन थैली को काटना एवं पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकाल कर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर मिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना) [F.D. BSR-13-3						
6	समतल क्षेत्र में बैग साइज 12x30 सेमी [F.D. BSR-3-13.1.1	15	15	पौधे	6.17	प्र.पौधा	92.55
7	पौधों को पानी पिलाना (जबकि पानी वृक्षारोपण सील पर उपलब्ध हों, बाल्टी मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर [F.D. BSR-3.18.1 महिने में 1 बार 5 महिने तक बार	750	750	पौधे	5.68	प्र.पौधा	4260.00
8	पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटवाई (कम से कम 50 से.मी. अर्द्धव्यास तक एवं थावला दुरुस्त करने सहित [F.D. BSR-3.19.1 2 बार	300	300	पौधे	4.79	प्र.पौधा	1437.00
9	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	30	30	दिन	252.00	LS	7560.00
10	विविध व्यय					LS	1500.00
Total							15200.96
or Say							15201.00
<b>IIIrd year</b>							
1-	रोपित पौधों की पुर्नर्ग एवं ब्राच कटिंग 2 मी० तक उंचाई के पौधों में	150	150	पौधे	1.53	प्र.पौधा	229.50
2	पौधों को पानी पिलाना (जबकि पानी वृक्षारोपण सील पर उपलब्ध हों, बाल्टी मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर [F.D. BSR-3.18.1 वर्ष में 2बार	300	300	पौधे	5.68	प्र.पौधा	1704.00
3	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	26	26	दिन	252.00	LS	6552.00
4	विविध व्यय					LS	1500.00
Total							9985.50
or Say							9985.00
<b>IVth year</b>							
1	रोपित पौधों की पुर्नर्ग एवं ब्राच कटिंग 2 मी० से अधिक उंचाई तक के पौधों में	150	150	पौधे	2.33	प्र.पौधा	349.50
2	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	26	26	दिन	252.00	LS	6552.00
3	विविध व्यय					LS	500.00
Total							7401.50
<b>V.th year</b>							
1	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	20	20	दिन	252.00	LS	5040.00
2	विविध व्यय					LS	500.00



Total							5540.00
Vi th year							
1	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	20	20	दिन	252.00	LS	5040.00
2	विविध व्यय					LS	500.00
Total							5540.00
Vii th year							
1	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	20	20	दिन	252.00	LS	5040.00
2	विविध व्यय					LS	500.00
Total							5540.00
. Viii th year							
1	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	20	20	दिन	252.00	LS	5040.00
2	विविध व्यय					LS	500.00
Total							5540.00
iX th year							
1	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	20	20	दिन	252.00	LS	5040.00
2	विविध व्यय					LS	500.00
Total							5540.00
X th year							
1	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	20	20	दिन	252.00	LS	5040.00
2	विविध व्यय					LS	500.00
Total							5540.00
XI th year							
1	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	20	20	दिन	252.00	LS	5040.00
2	विविध व्यय					LS	500.00
Total							5540.00
XII th year							
1	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	20	20	दिन	252.00	LS	5040.00
2	विविध व्यय					LS	500.00
Total							5540.00
							योग :- 109564.00
							महायोग :- 109564.00

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यय अनुमान में अंकित दरें श्रीमान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा स्वीकृत बी.एस.आर. क्रमांक 5036-68 दिनांक 24-08-2021, क्रमांक 7146-48 दिनांक 08-12-2021 एवं & GKN BSR 2021 के अनुसार है।

उप वन संरक्षक  
बाँसवाडा

लेखाकार  
बाँसवाडा

सहायक वन संरक्षक  
कुशलगढ

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
कुशलगढ







75

**OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST, BANSWARA**

**SITE SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO**

This is to certify that 0.50 hectare land of village kadvali potliya ,forest block kadvali potliya,tehsil kushalgarh,District Banswara has identified for Degraded forest land and it is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encumbrance and encroachment.



(Hari Kishan saraswat)  
DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST  
BANSWARA

PLACE: Banswara

Date: 17.05.2022

76

## कार्यालय उप वन संरक्षक, बॉसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 613-16

दिनांक :- 26.01.2021

निमित्त,  
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

विषय :- Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट (प्रति संलग्न है) के अनुसार नियमों से भली-भांति विज्ञ होने के बावजूद भी यूजर एजेंसी के द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन कि कार्यवाही से बचने कि मंशा से दिनांक 21.09.2020 की रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए मशीनों के द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर वन भूमि में चोरी-छिपे OFC बिछाने का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण संख्या 97-21 दिनांक 22.09.2020 दर्ज किया जाकर यूजर एजेंसी से ₹1,50,000 दण्डात्मक राशी वसूल की गई है (तत्संबंधित पत्रादी की छाया-प्रतियां संलग्न है)।

यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 1482.21 रनिंग मीटर की लंबाई में OFC बिछाया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में उल्लंघन संबंधी कार्य करवाया जा चुका है एवं 282.21 रनिंग मीटर की लंबाई में कार्य करवाया जाना अब भी शेष है। उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि का अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2021 को मौका निरीक्षण कर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सत्यापन किया गया है तदनुसार उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

कमश: 2 पर

**Handbook of**

**Forest (Conservation) Act, 1980  
and  
Forest Conservation Rules, 2003  
(Guidelines & Clarifications)**



**Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Government of India  
2019**



78

of the Forest Department of the State to the Ministry of Environment, Forests & Climate Change Government of India, New Delhi and formal enquiry shall be conducted by the Regional Office of the MoEF&CC.

**(ii) In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:**

- a. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made.
- b. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (a) above.
- c. State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.
- d. User agency responsible for violation shall be prosecuted under local Act of the State for unauthorized use of forest land without the permission of State authority.

**(iii) Violation /noncompliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act.**

In such cases the penalty will be imposed on the recommendation of the APCCF Regional office in whose jurisdiction the alleged violation has occurred. The violation will be reported to REC/FAC and the committee will give time to comply the conditions within stipulated time.

- a. In case the offence is proved then the penalty shall be imposed for violation committed over forest area without approval equal to twice the normal NPV.
- b. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (a) above.

**(iv) Violation on account of change of land use in the approved mining plan:**

- a. No penalty is to be imposed for such violation if the change is as per change in mining plan duly approved by competent authority. User agency shall intimate all approvals related to change in mining plan to the regional office within one month of approval. In other cases, change in land use plan shall not be carried out without prior approval of MoEF&CC under the provisions of FCA 1980.
- b. Any violation of change in land use (other than mining operations), penalty of two times the NPV plus simple interest 12 per cent from the date of actual violation committed will be imposed.
- c. In case the approved change in mining plan is not intimated within one month of the approval the same fine shall be imposed as in para IV(b).

If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed on user agency.

**1.22. Zoo, Rescue, Rehabilitation Center and captive breeding facility**

Zoo, Rescue, Rehabilitation Center and Captive breeding facility for wild life management is treated as a forestry activity for the purpose of applicability of



कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाडा

विस्तृत व्यय प्रावकलन

कार्य पर होने वाले विस्तृत विवरण वर्ष :- 2022-23		नामवृत प. वृत्त, उदयपुर					
नाम वन मण्डल : बांसवाडा		नाम स्कीम : CAMPA					
स्वीकृत क्रमांक : दिनांक							
कार्य कोड		GPS 23°15200 74°3975					
बजट मद जिसमें व्यय होगा : CAMPA		स्वीकृत राशि : /-					
क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण				
1	नाम राजस्व जिला - बांसवाडा	2	नाम रेन्ज - कुशलगढ				
3	नाम तहसील - कुशलगढ	4	नाम पंचायत समिति - कुशलगढ				
5	नाम कार्य - कदवाली पोटलीया (पाटन )	6	नाम वन खण्ड - कदवाली पोटलीया				
7	क्षेत्रफल - 0.50 है.	8	ग्राम - कदवाली पोटलीया				
9	किस्म कार्य - क्षति पूर्ति प्लान्टेशन	10	निर्माण वर्ष - 2022-23				
11	V.F.P.M.C. - पाटन	12	पौधों की संख्या -150				
		13	पैरामीटर - पाटन 100 मी. कॉमन खाई व्क्षारोपण कदवाली पोटलीया बी 2021-22 RDF-I				
क्र.सं.	कार्य का विवरण	संख्या	मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	राशि
1	0 year	3	4	5	6	7	8
1	सर्वे एवं ले आउट (लाईन विलयरेंस सहीत) [F.D. BSR-B-1-(i)]	0.50	0.50	है.	158.76	प्र.है.	79.38
2	खड्डे खुदाई कार्य- [F.D. BSR-B-3.1-(ii)]						
I	खड्डे खुदाई हेतु दागवेल देना	150	150	खड्डे	1.03	प्र.खड्डे	154.50
*	खड्डे खुदाई साईज 45×45×45×cm [F.D. BSR-B-5.1-(iv)-(v)-(vi)]						
I	कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत तक बोल्डर्स में	0	0.00	खड्डे	167.08	प्र.खड्डे	0.00
II	कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्डर्स में	75	6.83	खड्डे	228.82	प्र.खड्डे	1563.84
III	कठोर मिट्टी जिसमें अधिक मुरड कंकड हो	75	6.83	खड्डे	254.02	प्र.खड्डे	1736.07
3	विविध व्यय					LS	1500.00
Total							5033.79
or Say							5034.00
1st year							
1	खड्डों का किटनापक दवा से उपचार करना [F.D. BSR-3-12]	150	150	खड्डे	0.50	प्र.खड्डे	75.00

उक्त क्षेत्र में खाई फरिंग पूर्ण से नियोजित है। उपरि प्रावकलन में नही ली गई है।



	पौधा रोपित करना (पौधे को थैली सहित उपचारित जल से भिगीना, पोलिथिन थैली को काटना एवं पौधों को अलग करना, कंकर आदि निकाल कर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर मिट्टी को पुनः भरना एवं पसाना) [F.D. BSR-3.2.2.3]							
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में सिर बोझ से पौध (पोलिथीन बैग्स में) की स्थानीय दुलाई [F.D. BSR-3.2.2.3.]	150	150	पौधे	1.30	प्र.पौधा	195.00	
1	समतल क्षेत्र में बैग साईज 12x30 रोपी [F.D. BSR-3-13.1.1]	150	150	पौधे	6.17	प्र.पौधा	925.50	
3	प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्द्धचन्द्राकार थावला बनाना जिसका अर्द्धव्यास कम से कम 50 से.मी हो [F.D. BSR- 3.16.1]	150	150	पौधे	4.00	प्र.पौधा	600.00	
4	पौधा को रासायनिक खाद देना [F.D. BSR- 3.14]	150	150	पौधे	0.65	प्र.पौधा	97.50	
5	पौधा पर किटनाशक दवा से छिड़काव करना [F.D. BSR-3.15]	150	150	पौधे	1.13	प्र.पौधा	169.50	
6	पौधों को पानी पिलाना (जबकि पानी वृक्षारोपण सील पर उपलब्ध हों, बाट्टी मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर [F.D. BSR- 3.18.1 महिने में 2 बार 7 महिने तक 14 बार	2100	2100	पौधे	5.68	प्र.पौधा	11928.00	
7	पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटवाई (कम से कम 50 से.मी. अर्द्धव्यास तक एवं थावला दुरुस्त करने सहित [F.D. BSR- 3.19.1 4 बार	600	600	पौधे	4.79	प्र.पौधा	2874.00	
8	पौधों की केवल गुड़ाई व मिट्टी पलटवाई [F.D. BSR-3.19.12 2 बार	300	300	पौधे	2.33	प्र.पौधा	699.00	
9	सरकारी नर्सरी से पौधे टॉल प्लान्ट उपलब्ध करवाना					LS	0.00	
10	किटनाशक दवा खरीद पर व्यय					LS	1000.00	
11	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	30	30	दिन	252.00	LS	7560.00	
	विविध व्यय					LS	1500.00	
Total								27623.50
or Say								27623.00
3	llst year							
	1.रिप्लेसमेंट हेतु खरडे खुदाई-10%					प्र.खरडा		
1-	1. कठोर चिकनी मिट्टी 20 प्रतिशत अधिक बोल्डर्स में	10	0.91125	खरडे	228.82		208.51	
	2 कठोर मिट्टी जिसमें अधिक गुरड कंकड हो	5	0.45625	खरडे	254.02	प्र.खरडा	115.90	
2	सरकारी नर्सरी से टॉल प्लान्ट प्राप्त करना	0	0	खरडे	0.50	प्र.खरडा	0.00	
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में सिर बोझ से पौध (पोलिथीन बैग्स में) की स्थानीय दुलाई करना [F.D. BSR-3.2.2.3.]	15	15	पौधे	1.30	प्र.पौधा	19.50	
4	खरडों का किटनाशक दवा से उपचार करना [F.D. BSR-3-12	15	15	पौधे	0.50	प्र.पौधा	7.50	



81

पौधा रोपित करना (पौधे को धैली सहित उपचारित जल से भिगोना, पोलिथिन धैली को काटना एवं पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकाल कर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर मिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना) [F.D. BSR-13-3							
1	समतल क्षेत्र में दैग साइज 12x30 रोमी [F.D. BSR-3-13.1.1	15	15	पौधे	6.17	प्र.पौधा	92.55
	पौधे को पानी पिलाना ( जबकि पानी वृक्षारोपण सील पर उपलब्ध हो, बाल्टी मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर [F.D. BSR- 3.18.1 महिने में 1 बार 5 महिने तक बार	750	750	पौधे	5.68	प्र.पौधा	4260.00
8	पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटवाई (कम से कम 50 से.मी. अर्द्धव्यास तक एवं थावला दुरुस्त करने सहित [F.D. BSR- 3.19.1 2 बार	300	300	पौधे	4.79	प्र.पौधा	1437.00
9	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	30	30	दिन	252.00	LS	7560.00
10	विविध व्यय					LS	1500.00
Total							15200.96
or Say							15201.00

<b>IIIrd year</b>							
1-	रोपित पौधों की पुनिग एवं ब्राच कटिंग 2 मी0 तक उंचाई के पौधों में	150	150	पौधे	1.53	प्र.पौधा	229.50
2	पौधों को पानी पिलाना ( जबकि पानी वृक्षारोपण सील पर उपलब्ध हो, बाल्टी मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर [F.D. BSR- 3.18.1 वर्ष में 2बार	300	300	पौधे	5.68	प्र.पौधा	1704.00
3	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	26	26	दिन	252.00	LS	6552.00
4	विविध व्यय					LS	1500.00
Total							9985.50
or Say							9985.00

<b>IVth year</b>							
1	रोपित पौधों की पुनिग एवं ब्राच कटिंग 2 मी0 से अधिक उंचाई तक के पौधों में	150	150	पौधे	2.33	प्र.पौधा	349.50
2	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	26	26	दिन	252.00	LS	6552.00
3	विविध व्यय					LS	500.00
Total							7401.50

<b>V th year</b>							
1	वृक्षारोपण सुरक्षा पर व्यय	20	20	दिन	252.00	LS	5040.00
2	विविध व्यय					LS	500.00







84

**OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST, BANSWARA**

**SITE SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO**

This is to certify that 0.50 hectare land of village kadvali potliya, forest block kadvali potliya, tehsil kushalgarh, District Banswara has identified for Degraded forest land and it is suitable for plantation from management point of view and is free from all sorts of encumbrance and encroachment.



(Hari Kishan saraswat)  
DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST  
BANSWARA

PLACE: Banswara

Date: 17.05.2022

## कार्यालय उप वन संरक्षक, बॉसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / 612-18/16

दिनांक :- 20.01.2021 .

निमित्त,  
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

**विषय :-** Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00 Km) District - Banswara (Raj.) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/51041/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट (प्रति संलग्न है) के अनुसार नियमों से भली-भांति विज्ञ होने के बावजूद भी यूजर एजेंसी के द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन कि कार्यवाही से बचने कि मंशा से दिनांक 21.09.2020 की रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए मशीनों के द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर वन भूमि में चोरी-छिपे OFC बिछाने का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण संख्या 97-21 दिनांक 22.09.2020 दर्ज किया जाकर यूजर एजेंसी से ₹1,50,000 दण्डात्मक राशी वसूल की गई है (तत्संबंधित पत्रादी की छाया-प्रतियां संलग्न है)।

यूजर एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 1482.21 रनिंग मीटर की लंबाई में OFC बिछाया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 1200 रनिंग मीटर की लंबाई में उल्लंघन संबंधी कार्य करवाया जा चुका है एवं 282.21 रनिंग मीटर की लंबाई में कार्य करवाया जाना अब भी शेष है। उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि का अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2021 को मौका निरीक्षण कर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सत्यापन किया गया है तदनुसार उल्लंघन संबंधी करवाये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

कमश: 2 पर



Handbook of

96

संबंधी  
ये

**Forest (Conservation) Act, 1980  
and  
Forest Conservation Rules, 2003  
(Guidelines & Clarifications)**



**Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Government of India**

**2019**



87

of the Forest Department of the State to the Ministry of Environment, Forests & Climate Change Government of India, New Delhi and formal enquiry shall be conducted by the Regional Office of the MoEF&CC.

**(ii) In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:**

- a. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made.
- b. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (a) above.
- c. State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.
- d. User agency responsible for violation shall be prosecuted under local Act of the State for unauthorized use of forest land without the permission of State authority.

**(iii) Violation /noncompliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act.**

In such cases the penalty will be imposed on the recommendation of the APCCF Regional office in whose jurisdiction the alleged violation has occurred. The violation will be reported to REC/FAC and the committee will give time to comply the conditions within stipulated time.

- a. In case the offence is proved then the penalty shall be imposed for violation committed over forest area without approval equal to twice the normal NPV.
- b. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (a) above.

**(iv) Violation on account of change of land use in the approved mining plan:**

- a. No penalty is to be imposed for such violation if the change is as per change in mining plan duly approved by competent authority. User agency shall intimate all approvals related to change in mining plan to the regional office within one month of approval. In other cases, change in land use plan shall not be carried out without prior approval of MoEF&CC under the provisions of FCA 1980.
- b. Any violation of change in land use (other than mining operations), penalty of two times the NPV plus simple interest 12 per cent from the date of actual violation committed will be imposed.
- c. In case the approved change in mining plan is not intimated within one month of the approval the same fine shall be imposed as in para IV(b).

If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed on user agency.

**1.22. Zoo, Rescue, Rehabilitation Center and captive breeding facility**

Zoo, Rescue, Rehabilitation Center and Captive breeding facility for wild life management is treated as a forestry activity for the purpose of applicability of